

**कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश (लखनऊ)**

संख्या- प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 19-6-2019

कार्यालय आग

अधिकांश भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जैविक सत्र 2019-20 हेतु विद्यार्थी सचिव तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अलावा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 को अलावा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की अध्यक्षता में परिषद अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित हुई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से अनुमोदन प्रदान करने का सम्बद्धता विचार/आयोजक/प्रमुख अमता पृथि/कर्मि हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के अंश-18 में विद्यार्थी सत्र हेतु आयोजक सम्बद्धता करने वाली हुई, उक्त का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विचार-निर्णय का निम्नांक निर्णय लिया गया-

समिति द्वारा विचार-निर्णय किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी नवस्थापित निम्न डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं को एडवाइंसोर्टीफाइड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपसंत एडवाइंसोर्टीफाइड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, जो सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता इत गत के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित संस्थान सत्र 2019-20 हेतु एडवाइंसोर्टीफाइड अनुमोदन पर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराये।

उक्त विद्यार्थी सत्र के अंतर्गत उक्त की परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-निर्णय द्वारा की गयी अनुमोदन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त गत निर्णय के अलावा प्र प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा सत्र 2019-20 हेतु विचार-निर्णय जारी है अतः आयोजक एवं उसने अधिकांश प्रमुख अमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

क्र. सं. संस्था	संस्था का नाम	आयोजक का नाम	एडवाइंसोर्टीफाइड से एडवाइंसोर्टीफाइड 2019-20 में अनुमोदन प्राप्त संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदन प्रदान संख्या
1	एन.ए.पी.टी. (एन.ए.पी.टी. संस्था)	सचिव, एन.ए.पी.टी. संस्था	10	10
		अध्यक्ष, एन.ए.पी.टी. संस्था	10	10
		प्रमुख अमता, एन.ए.पी.टी. संस्था	10	10

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र एडवाइंसोर्टीफाइड द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।
- ✓ सत्र उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद अंतर्गत अलावा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन करेगी अलावा सत्र प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु आयोजक के हेतु 50-30-100000/- प्रतिवर्ष, जो अतः, अतः, अतः आयोजक हेतु 50-30-100000/- प्रतिवर्ष का एक तथा दो वर्षों आयोजकों (दो वर्षों आयोजक आयोजक के अंतर्गत) हेतु 50-22500000 प्रतिवर्ष शुल्क की परीक्षा शुल्क, उक्त से प्राप्त किया जायेगा। उक्त शुल्क के अंतर्गत आग, आगों में शुल्क की संख्या में उक्त-सत्र पर सत्र द्वारा निर्णय किया जाने वाले आग-वर्ष प्रकल्पों की परीक्षा हेतु अनुमोदन अंतर्गत शिक्षा उक्त आयोजक द्वारा कीत निर्धारण

कार्यालय

राजिव गांधी विश्व विद्यालय

राज्य प्रवेश परीक्षा

संख्या - प्रवेशकार्यालय राज्य/2021/0537

दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय द्वारा

अतिरिक्त भर्ती के लिए विश्व विद्यालय राजिव गांधी विश्व विद्यालय राजिव गांधी विश्व विद्यालय द्वारा राजिव गांधी विश्व विद्यालय में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के माध्यम से राजिव गांधी विश्व विद्यालय में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है।

संबंधित परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी अभ्यर्थक हैं वे अपने नामों का प्रमाणित प्रवेश परीक्षा सूची में दर्ज करवा सकते हैं।

संस्था का कोड एवं नाम : 4031-LUTAWAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

क्रमांक	पठनक्रम का नाम	एचआरटीसी/डीए/सीआई/आईटी/आईआईटी द्वारा सत्र 2021-22 में अनुमति प्राप्त अवकाश	परीक्षा द्वारा सत्र 2021-22 में अनुमति प्राप्त अवकाश
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING	80	80

सम्बन्धित पंक्तियाँ

- ✓ संस्था का पता: राजिव गांधी विश्व विद्यालय राजिव गांधी विश्व विद्यालय राजिव गांधी विश्व विद्यालय
- ✓ संस्था का पता: राजिव गांधी विश्व विद्यालय राजिव गांधी विश्व विद्यालय राजिव गांधी विश्व विद्यालय
- ✓ संस्था का पता: राजिव गांधी विश्व विद्यालय राजिव गांधी विश्व विद्यालय राजिव गांधी विश्व विद्यालय

- ✓ संस्था को समस्त-समस्त पर निर्मित वास्तविकता के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधिविधिमूर्ति-अधिविधिमूर्ति-वास्तविकता-निर्देशों एवं निर्देशक, प्रशिक्षक शिक्षा, उ०ए०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०ए० तथा प्रशिक्षक शिक्षा परिषद, उ०ए० द्वारा बनाये गये नियमों, विधिमूर्ति, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सार्व उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रशिक्षक शिक्षा निदेशालय एवं प्रशिक्षक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई कद टापर किया जाता है तथा टापर कद के संबंध में मा. महासचिव द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनताम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साक्ष-सज्ज, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, छात्रवास सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ ही गैरिग टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संबंधित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत निरीक्षण टौरन यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साक्ष-सज्ज ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०-परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसामनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन०- प्राधिका०परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, LUTAWAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT


Principal
Lutawan Institute of Technology
& Management, Sector-10/11
Ghaziabad (U.P.) 201001


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव